





जिला मजिस्ट्रेट

डी

in his opinion, be necessary.

(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

District Magistrate shall, on such request being made to him-

thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the documents relating thereto may be situated of found- to take possession the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the

creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

रपस्ट प्राप्तान है, जो इस प्रकार है।

2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act की नीतिष जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः श्रेणी दिनांक 04.10.2016 के अनुसार श्रेणी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नीतिष जारी 6256/2016 पंकरणक्रम व अन्य वनाम जिला मजिस्ट्रेट उद्घरण व अन्य, में पारित निर्णय न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या

करने के पश्चात भी मंग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीतिष जारी पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि

इसदाद सम्भलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पुनर्भुगतान हेतु रहन बंधा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जासिये पुलिस Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of


सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा

द्वारा श्रेण ब्याज चुकाने में रूक की गई है। श्रेणी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का

नीतिष जारी किया जाने लगा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद श्रेणी

बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड बैंक

द्वारा तथा इसका आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त श्रेणी को प्रार्थी



निदेशिका (टी.जी.डी.)  
कक्षा 12 के लिए

Handwritten signature

आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।  
अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो  
सुईया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाइ जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक हेतु  
कारन व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टॉक को पर्याप्त पुलिस जाणा  
सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकल  
पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी  
प्राधान्यों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की  
फाईनल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत 31 के  
के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत एनफोर्समेंट ऑफ  
निर्णय प्रति तहसीलदार टोडारासिंह को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी

उत्तरदायित्व अधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।  
है, यदि नियमों के अन्वयार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त  
2. आदेश अधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पेशा दरतावेजाल के आधार पर दिये जा रहे  
है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।  
1. रहन सुईया सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकल यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता

को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :  
पत्र के आधार पर प्राधान पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन सुईया सम्पत्ति को प्रार्थी  
आदेश नहीं है। अधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य  
नियमों के अन्वयार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान  
प्रतिकृत अधिकारी ने प्राधान पत्र के साथ इस आधार का बाध्य पत्र पेश किया कि